



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-25112020-223304
CG-RJ-E-25112020-223304

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3704]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2020/अग्रहायण 4, 1942

No. 3704]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2020/AGRAHAYANA 4, 1942

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 20 नवम्बर, 2020

का.आ. 4207(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (II) दिनांक: 23 अक्टूबर, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय [उत्तर पश्चिम रेलवे(निर्माण संगठन)] की अधिसूचना का.आ.3804(अ). (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में विशेष रेल परियोजना, कि.मी. 343/0 से 390/0 के भू भाग में(बांगडग्राम- गुडीया) “आंशिक दोहरीकरण (47 किमी)” के निष्पादन अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचर पत्रों “दैनिक भास्कर” दिनांक: 04/11/2020 व “दैनिक नवज्योति” में दिनांक: 05/11/2020 को प्रकाशित किया गया

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम कि धारा 20इ की उप-धारा(1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20 इ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जायगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20इ कि उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी;

अनुसूची

राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना बांगडग्राम- गुडीया आंशिक दोहरीकरण परियोजना (47 कि.मी.) (ब्यावर उपखण्ड) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली सार्वजनिक भूमि का संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	आवास किया जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	अजमेर	ब्यावर	बड़ीया गैना	16	निवास एवं बस्तियां	आबादी	0.1620	आबादी ग्राम पंचायत कोटरा

[फा.सं.NWR/HQ/S&C/443599200]

वृजेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[NORTH WESTERN RAILWAY (CONSTRUCTION ORGANIZATION)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 20th November, 2020

S.O. 4207(E).—Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways [North Western Railway(Construction organization)], number S.O. 3804(E). dated 23rd October, 2020 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) (hereinafter referred to as the said Act), issued under Sub-Section (1) of section 20A of the Railways Act,1989(24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquired the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, **“Bangurgram-Guria patch doubling(47Km)”** in the stretch of land from KM 343/0 to 390/0 (between Bangurgram – Guria Section) in the district of Ajmer in the state of Rajasthan

And whereas the substance of the said notification has been published in daily local newspapers **“Danik Bhaskar”** dated 04.11.2020 and **“Dainik Navjoyati”** dated 05/11/2020 under Sub-Section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of said Act; the competent authority has submitted its report to Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose,

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure for the Special Railway Project namely:
Bangurgram-Guria patch doubling (47 Km) (sub division Beawar) in the state of Rajasthan.

Sr. No.	District	Tehsil	Name of Village	Khasra No.	Type of land	Nature of land	Area to be Acquired (Hect.)	Name of the land owner/interested person
1	Ajmer	Beawar	Badiya Gaina	16	Residence & Settlements	Abadi	0.1620	Aabadi Gram Panchayat Kotra

[F.No.NWR/HQ/S&C/443599200]

BRIJESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Const.)